न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 45/2019
आर.सी.एम.एस. :: 2019/00157

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		श्री घीसाराम पुत्र अन्नाराम जाति मेघवंशी, निवासी बूसी के कायम मुकाम 1. श्रीमती सोनीदेवी पत्नी भीमाराम (पुत्री अन्नाराम) जाति मेघवंशी निवासी खौड़, तहसील रानी जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 4/2/2020

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम बूसी, पटवार हल्का बूसी तहसील रानी के खसरा नम्बर 265 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 265/1 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी घीसाराम के लाऔलाद फौत हो जाने से उनके का.मु. को जरिये नोटिस तलब किया गया, जो आज अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बूसी, पटवार हल्का बूसी तहसील रानी जिला पाली के ख.न. 265 किस्म गै.मु. नदी में से 265/1 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के भाई के नाम आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.08.1970 के द्वारा आवंटित की गई, जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसकी पालना में अप्रार्थी के भाई घीसाराम पुत्र अन्नाराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 20.05.1971 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 747 के द्वारा अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 20.05.1971 एवं इसके

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 747 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बूसी, पटवार हल्का बूसी तहसील रानी के खसरा नम्बर 265 किस्म गै.मु. नदी से किस्म परिवर्तन कर ख.न. 265/1 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. कर अप्रार्थी के भाई घीसाराम को आवंटित की गई। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के भाई श्री घीसाराम पुत्र अन्नाराम निवासी बूसी को आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.08.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 20.05.1971 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा घीसाराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं जरिये ना.स. 747 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 20.05.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 747 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के भाई घीसाराम पुत्र अन्नाराम जाति मेघवंशी निवासी बूसी तहसील रानी पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.08.1970 के द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 20.05.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 747 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर, पाली